

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभू शारण मांग्रौसे०  
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ल० एवं ह०), बिहार,  
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा— आतरिक वित्तीय सलाहकार।

*29/४/*  
पटना, दिनांक— 2025

विषय:- स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत वित्तीय वर्ष २०२५-२६ में विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए दवा की आपूर्ति हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत सरचना निगम लि०, पटना को दवा भडार मद में कुल राशि रु० २३,०८,१७,५००/- (रुपये तेर्झस करोड़ आठ लाख सत्रह हजार पाँच सौ) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सबध मे कहना है कि स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के सकल्प स०-५४५(१२), दिनांक—११ ०६ २०१९ द्वारा दवा भडार मद मे बजट उपवध का ४० प्रतिशत राशि बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत सरचना निगम लि०, पटना एवं २० प्रतिशत राशि सबधित स्वास्थ्य संस्थानों को दिये जाने का सकल्प निर्गत है।

२— वर्णित रिथित मे महाप्रबधक (वित्त एवं लेखा), बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत सरचना निगम लि०, पटना के पत्राक—६६३, दिनांक—२४ ०४ २०२५ द्वारा किये गये मॉग के आलोक मे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, विपत्र कोड—२०-२२१००३११००००१ अन्तर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत वित्तीय वर्ष २०२५-२६ मे विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए दवा की आपूर्ति हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत सरचना निगम लि०, पटना को दवा भडार मद मे कुल राशि रु० २३,०८,१७,५००/- (रुपये तेर्झस करोड़ आठ लाख सत्रह हजार पाँच सौ) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

३— यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या २५६१/वि०(२), दिनांक—१७ ०४ ९८, २३५६/वि०(२), दिनांक—१२ ०४ ०६, २९३८/वि०(२), दिनांक—०८ ०४ ०८, ३३८८/वि०(२), दिनांक—१८ ०४ ११ एवं १२८८८/वि०, दिनांक—०३ १२ २०२४ के आलोक मे निर्गत किया जा रहा है एवं वित्तीय नियमो के अनुपालन की सम्पूर्ण जिम्मेदारी, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत सरचना निगम लि०, पटना की होगी।

४— इस राशि के व्यय का वहन स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय, मॉग स०-२० के अंतर्गत मुख्य शीर्ष—२२१०-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष—०३-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाए—एलोपैथी, लघु शीर्ष—११०-अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष—०००१-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, विपत्र कोड—२०-२२१००३११००००१ अन्तर्गत (२१-०२) दवा भडार मद मे उपबधित राशि से विकलनीय होगा।

५— इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होगे तथा नियत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होगे।

६— अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना नी०टी०सी० फॉर्म—४६ मे तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत सरचना निगम लि०, पटना को उपलब्ध करायेगे, जो दवा भडार मद की राशि को पी०एल० एकाउन्ट स०-PBBPLA007 विपत्र कोड—००-८४४८००१११००२-०००१ के अन्तर्गत ledger ID-14358 मे जमा कर राशि का खर्च विधिवत् प्रक्रिया अपनाते हुए करेगे।

७— बिहार स्वास्थ्य सेवाएँ एवं आधारभूत सरचना निगम लिमिटेड, पटना राशि का धन—ऋण ज्ञापन व ससमय उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, बिहार को भेजते हुए, उसकी एक प्रति अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को भी उपलब्ध करायेगे।


८— प्रारूप मे आतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका संख्या—७/सामुदायिक स्वा० केन्द्र—०९-०१/२०२५-२६ के पृष्ठ—०६/टि० पर प्राप्त है।

9— राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10— इसमें अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

11— यह मात्र स्वीकृत्यादेश है, आवटन CFMS के माध्यम से प्रदान किया जायेगा।

विश्वासभाजन

  
(शंभू शरण)

सरकार के अपर सचिव  



ज्ञापाक:-7 / सामुदायिक स्वाक्षेप-09-01 / 2025-26- / 7 / 7) / स्वास्थ्य विभाग-09/06/2025

प्रतिलिपि— महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सभी प्रमडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव—सह—निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सभी असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार/सभी प्रभारी पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिहार को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-मा० मत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी—7 / लेखा शाखा (दो प्रतियो में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना एव सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रबध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत रारचना निगम लि०, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
सरकार के अपर सचिव  
